

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्यांक 41)

(29 दिसम्बर, 1992)

स्तनपान के संरक्षण और संवर्धन तथा शिशु खाद्य के उचित उपयोग
को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल
और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदान और वितरण के
विनियमन का और उससे सम्बंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तैतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं-(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

[(क) “ विज्ञापन” के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या कोई अन्य दस्तावेज या किसी प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के जरिए या इलैक्ट्रनिक पारेषण के जरिए या श्रव्य या दृश्य पारेषण द्वारा किया गया कोई दृश्यरूपण या घोषणा भी है;]

(ख) “आधा” से कोई बक्स, बोतल, संदूकची, टिन, डिब्बा, पीपा, पेटी, ट्यूब, पात्र, बोरी, रैपर या अन्य वस्तु अभिप्रेत है जिसमें विक्रय या वितरण के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल या शिशु खाद्य रखा जाते हैं या पैक किया जाता है;

(ग) “पोषण बोतल” से ऐसी कोई बोतल या पात्र अभिप्रेत है जिसका उपयोग शिशु दुग्ध अनुकल्प के पोषण के प्रयोजन के लिए किया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसी बोतल या पात्र से संलग्न या संलग्न किए जाने योग्य चूचुक या वाल्व भी है;

(घ) “स्वास्थ्य देखरेख तंत्र” से ऐसी कोई संस्था या संगठन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माताओं, शिशुओं या गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखरेख में लगा हुआ है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निजी व्यवसाय करने वाला कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता ¹[कोई भेषजी, औषधि स्वोर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कोई संगम भी है]

(ङ) “स्वास्थ्य कार्यकर्ता” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो माताओं, शिशुओं या गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखरेख में लगा हुआ है;

¹ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 2 द्वारा (1-11-2003 से) प्रतिस्थापित ।

(च) “शिशु खाद्य” से ऐसा कोई खाद्य (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है जिसका शिशु की ¹[छह मास की आयु के पश्चात् और दो वर्ष की आयु तक की] बढ़ती हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता के दुग्ध के पूरक के रूप में विपणन किया जा रहा है या अन्यथा रूपण किया जा रहा है;

¹[(छ) “शिशु दुग्ध अनुकल्प” से ऐसा कोई खाद्य अभिप्रेत है जिसका दो वर्ष तक की आयु के शिशु के लिए, माता के दुग्ध के आंशिक या पूर्ण प्रतिस्थापन के रूप में विपणन किया जा रहा है या अन्यथा रूपण किया जा रहा है;]

(ज) “लेबल” से किसी लिखित, चिन्हित, स्टांपित, मुद्रित या चित्रित सामग्री का कोई संप्रदर्शन अभिप्रेत है जो किसी आधान पर चिपकाया गया हो या उस पर दिखाई दे रहा हो;

¹[(ज) “संवर्धन” से किसी व्यक्ति को शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल या शिशु खाद्य का क्रय करने या उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई पद्धति अपनाना अभिप्रेत है।]

या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबंध के, यदि कोई हो, प्रतिनिर्देश है।

3. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के संबंध में कतिपय प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति,—

(क) शिशु दुग्ध अनुकल्प ²[पोषण बोतलों या शिशु खाद्य] के वितरण, विक्रय या प्रदाय के लिए विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा; या

(ख) किसी भी रीति से कोई ऐसी धारणा या विश्वास पैदा नहीं करेगा कि ²[शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य] का पोषण माता के दुग्ध के समतुल्य है या उससे बेहतर है; या

²[(ग) शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलों या शिशु खाद्य के संवर्धन में भाग नहीं लेगा।]

4. शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों के उपयोग या विक्रय के लिए प्रोत्साहन का प्रतिषेध— कोई भी व्यक्ति, शिशु दुग्ध अनुकल्प या ³[पोषण बोतलों या शिशु खाद्य] के उपयोग या विक्रय के संवर्धन के प्रयोजन के लिए,—

(क) शिशु दुग्ध अनुकल्प या ³[पोषण बोतलों या शिशु खाद्य] के नमूनों का अथवा बर्तनों या अन्य वस्तुओं के दान का प्रदाय या वितरण नहीं करेगा; या

(ख) किसी गर्भवती स्त्री या शिशु की माता से सम्पर्क नहीं करेगा; या

(ग) किसी अन्य प्रकार की उत्प्रेरणा की प्रस्थापना नहीं करेगा।

5. शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या उनसे संबंधित उपस्कर या सामग्री का संदान—धारा 8 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति,—

(क) किसी अनाथालय के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को शिशु दुग्ध अनुकल्प या ⁴[पोषण बोतलों या शिशु खाद्य] का;

(ख) शिशु दुग्ध अनुकल्प या ⁴[पोषण बोतलों या शिशु खाद्य] से संबंधित किसी सूचनात्मक या शैक्षणिक उपस्कर या सामग्री का, संदाय या वितरण नहीं करेगा

परन्तु इस खंड को कोई बात ऐसे उपस्कर या सामग्री के स्वास्थ्य देखरेख तंत्र के माध्यम से किए गए संदान या वितरण को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाए, लागू नहीं होगी।

¹ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 2 द्वारा (1-11-2003) से अंतःस्थापित।

² 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 3 द्वारा (1-11-2003 से) प्रतिस्थापित।

³ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 4 द्वारा (1-11-2003 से) प्रतिस्थापित।

⁴ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 5 द्वारा (1-11-2003 से) प्रतिस्थापित।

6. शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु, खाद्य के आधानों और लेबलों पर सूचना—(1) ¹[खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006] 2006 का 34 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति किसी शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य का उत्पादन, प्रदाय या वितरण तभी करेगा जब उसके प्रत्येक आधान पर या उस पर चिपकाए गए किसी लेबल पर स्पष्ट, सहज-दृश्य और आसानी से पढ़े जाने योग्य और समझी जाने वाली रीति से उस पर बड़े अक्षरों में “महत्वपूर्ण सूचना” शब्द ऐसी भाषा में, जो विहित की जाए, उपदर्शित किए गए हों और उसके नीचे उसी भाषा में निम्नलिखित विशिष्टियां उपदर्शित की गई हों, अर्थात:—

(क) बड़े अक्षरों में यह कथन कि “माता का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है” ;

(ख) यह कथन कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य का उपयोग; उसके उपयोग की आवश्यकता और उसके उपयोग की उचित पद्धति के बारे में किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह पर ही किया जाए ;

(ग) यह चेतावनी कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य, शिशु के पोषण का एकमात्र स्रोत नहीं है ;

(घ) उसके समुचित रूप से तैयार करने के लिए अनुदेश और उसके असमुचित रूप में तैयार करने से स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट के विरुद्ध चेतावनी, असमुचित रूप से तैयार करने से स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट के विरुद्ध चेतावनी,

(ङ) प्रयुक्त संघटक;

(च) संरचना या विश्लेषण;

(छ) अपोक्षित भंडारकरण संबंधी दशाएं ;

(ज) वैच संख्यांक, उसके विनिर्माण की तारीख और वह तारीख जिसके पूर्व उसका, देश की मौसम संबंधी या भंडारकरण संबंधी दशाओं को ध्यान में रखते हुए, उपभोग किया जाना है;

(झ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ²[शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य] से संबंधित किसी आधान या लेबल पर—

(क) शिशु या स्त्री या दोनों की तस्वीरों नहीं होगी; या

(ख) ¹[शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य] की विक्रेयता में वृद्धि के लिए अभिकल्पित तस्वीरें या अन्य चित्रित सामग्री या वाक्यांश नहीं होंगे ; या

(ग) “मानववत्” या “मातृवत्” शब्द या वैसा ही कोई अन्य शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा; या

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां नहीं होगी जो विहित की जाएं ।

7. शिशुओं के पोषण के संबंध में शैक्षणिक और अन्य सामग्री में कतिपय अन्तर्विष्टियों का अन्तर्विष्ट होना— ³[शैक्षणिक या अन्य सामग्री में, जिसके अंतर्गत शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के संवर्धन से संबंधित विज्ञापन या सामग्री भी है,]

(क) स्तनपान के फायदे और उत्तमता ;

(ख) स्तनपान के लिए तैयारी और उसका चालू रखना;

(ग) बोतल से पोषण को भागतः अंगीकार करने से स्तनपान पर हानिकर प्रभाव;

¹ 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 100 द्वारा (29-07-2010) को प्रतिस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 6 द्वारा (1-11-2003 से) प्रतिस्थापित ।

³ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 7 द्वारा (1-11-2003 से) प्रतिस्थापित ।

(घ) शिशुओं का एक अवधि तक शिशु दुग्ध अनुकल्प द्वारा पोषण करने के पश्चात् उन्हें पुनः स्तनपान कराने में होने वाली कठिनाइयां;

(ङ) शिशु दुग्ध अनुकल्प और पोषण बोतलों का उपयोग करने के वित्तीय और सामाजिक परिणाम ;

(च) शिशु दुग्ध अनुकल्प और पोषण बोतलों के अनुचित उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट ;

¹ [(चक) ऐसी सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन की तारीख तथा मुद्रक प्रकाशक का नाम;]

(छ) ऐसे अन्व विषय जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सामग्री का प्रयोग शिशु दुग्ध अनुकल्प या 2[पोषण बोतलों या शिशु खाद्य] के उपयोग या विक्रय संवर्धन के लिए नहीं किया जाएगा।

8. स्वास्थ्य देखरेख तंत्र- (1) कोई भी व्यक्ति, शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य के उपयोग या विक्रय के संवर्धन के प्रयोजन के लिए सामग्री से संबंधित या सामग्री के वितरण के लिए प्लेकार्डों या पोस्टरो का संप्रदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य देखरेख तंत्र का प्रयोग नहीं करेगा:

परंतु इस उपधारा के उपबंध-

(क) धारा 5 के खंड (ख) के परन्तुक के अनुसार सूचनात्मक या शैक्षणिक उपस्कर या सामग्री के संदान या वितरण को; और

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी के साथ-साथ शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य के उपयोग से संबंधित वैज्ञानिक और तथ्यात्मक विषयों के बारे में किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जानकारी के प्रसार को,

लागू नहीं होंगे ।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जो शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य का उत्पादन, प्रदाय, वितरण या विक्रय करता है, ऐसे अनुकल्पों या बोतलों या खाद्य के उपयोग या विक्रय के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्वास्थ्य देखरेख तंत्र में कार्य करता है, कोई संदाय नहीं करेगा ।

(3) किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति किसी शिशु की माता की या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य से पोषण का प्रदर्शन नहीं करेगा और ऐसा स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसी माता या ऐसे अन्य सदस्य को शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य के अनुचित उपयोग के परिसंकट के बारे में भी स्पष्ट रूप से समझाएगा ।

(4) किसी संस्था या संगठन से भिन्न कोई व्यक्ति, जो माताओं, शिशुओं या गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखरेख में लगा हुआ है, ऐसी माता की शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों का वितरण नहीं करेगा जो स्तनपान नहीं कर सकती है ।

(5) कोई अनाथालय, शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों का, उक्त अनाथालय में उनका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उनकी विक्रय कीमत से कम कीमत पर क्रय कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे क्रय शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों के उपयोग या विक्रय के संवर्धन के लिए, किसी उत्प्रेरणा की कोटि में नहीं आएंगे ।

9. शिशु दुग्ध अनुकल्पों, आदि के उपयोग के संवर्धन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उत्प्रेरणा-(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य का उत्पादन, प्रदाय, वितरण या विक्रय करता है, ऐसे अनुकल्पों या बोतलों या खाद्यों के उपयोग के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं वित्तीय उत्प्रेरणाओं या दान की प्रस्थापना नहीं करेगा, और न ही देगा ।

¹ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 7 द्वारा (1-11-2003 से) अंतःस्थापित ।

[(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई उत्पादक, प्रदायकर्ता या वितरक, किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के किसी संगम को किसी अभिदाय या धनीय फायदे, जिसके अंतर्गत संगोष्ठी, अधिवेशन, सम्मेलन, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, प्रतियोगिता, अध्येतावृत्ति, अनुसंधान कार्य या प्रायोजकता का वित्तपोषण भी है, की न तो प्रस्थापना करेगा और न ही उन्हें देगा ।]

10. ऐसे व्यक्ति के, जो शिशु दुग्ध अनुकल्प, आदि का उत्पादन, प्रदाय, वितरण या विक्रय करता है, कर्मचारियों के संबंध में विशेष उपबंध—(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो शिशु दुग्ध अनुकल्पों या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य का उत्पादन, प्रदाय, वितरण या विक्रय करता है, अपने कर्मचारियों द्वारा ऐसे अनुकल्पों या बोतलों या खाद्यों के किये गए विक्रय की मात्रा के आधार पर अपने किसी कर्मचारी का पारिश्रमिक नियत नहीं करेगा या ऐसे कर्मचारी को कोई कमीशन नहीं देगा ।

(2) ऐसे व्यक्ति के कर्मचारी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, जो शिशु की जन्मपूर्व या जन्मोत्तर देखरेख के संबंध में किसी कर्मवती स्त्री या शिशु की माता को शिक्षा देने से संबंधित है ।

11. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलों या शिशु खाद्यों के मानक—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य का विक्रय या अन्यथा उसका वितरण तभी करेगा जब वह ²[खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)] और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे अनुकल्प या खाद्य के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हो और उसके आधान पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत मानक चिन्ह यह उपदर्शित करने के लिए हो कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य ऐसे मानकों के अनुरूप है:

परन्तु जहां ²[खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)] के अधीन किसी शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के लिए कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं वहां कोई भी व्यक्ति ऐसे अनुकल्प या खाद्य का विक्रय या अन्यथा वितरण तभी करेगा जब उसने ऐसे अनुकल्प या खाद्य और उसके आधान पर चिपकाए गए लेबल के संबंध में उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी पोषण बोतल का विक्रय या अन्यथा वितरण तभी करेगा जब वह पोषण बोतलों के लिए उपधारा(1) में निर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह के अनुरूप हो और ऐसा चिन्ह उसके आधान पर लगाया गया है ।

12. प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियां—(1) यदि ²[सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी] (जिसे इसमें इसके पश्चात् खाद्य निरीक्षक कहा गया है) या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास, जो वर्ग 1 अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 6 या धारा 11 के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह किसी कारखाने, भवन, कारबार के परिसर या किसी अन्य स्थान में, जहां शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य का कोई व्यापार या वाणिज्य किया जाता है अथवा ऐसे अनुकल्प या बोतलों या खाद्य का उत्पादन, प्रदाय या वितरण किया जाता है, किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

13. शिशु दुग्ध अनुकल्प आदि का या उनके आधानों का अभिग्रहण करने की शक्ति—(1) यदि किसी ³[खाद्य सुरक्षा अधिकारी]

या प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या उसके आधानों की बाबत, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे अनुकल्प या बोतल या खाद्य या आधान का अभिग्रहण कर सकेगा ।

¹ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 8 द्वारा (1-11-2003) से प्रतिस्थापित ।

² 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 100 द्वारा (29-07-2010) से प्रतिस्थापित ।

³ 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 100 द्वारा (29-07-2010) से प्रतिस्थापित ।

(2) कोई ऐसा अनुकल्प या खाद्य या बोतल या आधान किसी [खाद्य सुरक्षा अधिकारी] या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उसके अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए तभी प्रतिधारित किया जाएगा जब उस जिला न्यायाधीश का, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया है, अनुमोदन ऐसे प्रतिधारण के लिए प्राप्त कर लिया गया है।

14. अधिहरण—किसी ऐसे शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या उसके आधान का, जिसकी बाबत इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, अधिहरण किया जा सकेगा:

परंतु जहां अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाले न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में ऐसा कोई अनुकल्प या बोतल या खाद्य या आधान पाया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं है, वहां न्यायालय ऐसे अनुकल्प या बोतल या खाद्य या आधान का अधिहरण करने का आदेश करने के बजाय इस अधिनियम के उपबंधों के भंग के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

15. अधिहरण के बदले में खर्चों का संदाय करने का विकल्प प्रदान करने की शक्ति—(1) जब कभी कोई अधिहरण इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तब अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाला न्यायालय ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके स्वामी को यह विकल्प दे सकेगा कि वह अधिहरण के बदले में उस शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या उसके आधान के, जिसका अधिहरण प्राधिकृत किया जाता है, मूल्य से अनधिक उतने खर्चों का संदाय करे जो न्यायालय ठीक समझे।

(2) न्यायालय द्वारा आदिष्ट खर्चों का संदाय किए जाने पर, अभिगृहीत शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या आधान उस व्यक्ति को, जिससे वह अभिगृहीत किया गया था, इस शर्त पर लौटा दिया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अनुकल्प या बोतल या खाद्य या आधान का कोई वितरण, विक्रय या प्रदाय करने के पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करेगा।

16. अधिहरण से अन्य दण्ड पर प्रभाव न पड़ना—इस अधिनियम के अर्धीन किया गया कोई अधिहरण या संदाय किए जाने के लिए आदिष्ट खर्चों किसी दंड के दिए जाने को नहीं रोकेंगा जिसका उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन भागी है।

17. न्यायनिर्णयन— किसी अधिहरण का न्यायनिर्णयन या खर्चों का संदाय किए जाने का आदेश,—

(क) आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, यथास्थिति, ऐसा अधिहरण किया गया है या खर्चों के संदाय किये जाने का आदेश किया गया है, बिना किसी सीमा से किया जा सकेगा ;

(ख) ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जो पांच हजार रुपए से अधिक की धन-संबंधी अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय से नीचे का नहीं है और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे।

18. अभिगृहीत शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या उसके आधान के स्वामी को अवसर दिया जाना—(1) अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाला या खर्चों के संदाय का निदेश देने वाला कोई आदेश तभी किया जाएगा जब शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या उसके आधान के स्वामी को उन आधारों की, जिन पर ऐसे अनुकल्प या बोतल या खाद्य या आधान का अधिहरण किया जाना प्रस्थापित है, जानकारी देते हुए और उसे ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिहरण के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन करने के लिए और यदि वह मामले में सुने जाने की सूचना करता है तो उसके लिए भी, युक्तियुक्त अवसर देते हुए, लिखित सूचना दे दी गई हो:

परंतु जहां ऐसी सूचना शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या उसके आधान के अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नहीं दी गई है, वहां ऐसा अनुकल्प या बोतल या खाद्य या आधान उस अवधि की समाप्ति के पश्चात उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उसका अभिग्रहण किया गया था।

अपील—(2) उपधारा (1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही को, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

19. (1) कोई व्यक्ति जो अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाले या खर्चे के संदाय का आदेश करने वाले न्यायालय के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस न्यायालय को, जिसको ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपील होती है, अपील कर सकेगा ।

(2) अपील न्यायालय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या पुनरीक्षित करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे अथवा यदि आवश्यक हो तो मामले को, अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, यथास्थिति, नए सिसे से विनिश्चय या न्यायानिर्णयन के लिए ऐसे निदेशों सहित, जो वह ठीक समझे, वापस भेज सकेगा:

परंतु अधिहरण के बदले में जुर्माने में वृद्धि करने वाला या अधिक मूल्य के माल का अधिहरण करने वाला कोई आदेश इस धारा के अधीन तभी किया जाएगा जब अपीलार्थी को अभ्यावेदन करने का अवसर और यदि वह अपनी प्रतिरक्षा में सुने जाने की वांछा करता है तो उसके लिए भी, अवसर दे दिया गया हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किये गए न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं होगी ।

20. शास्ति—(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (2) [और अधिनियम की धारा 26 के अधीन बनाए गए नियमों] के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 6 या धारा 11 की उपधारा (1) [और अधिनियम की धारा 26 के अधीन बनाए गए नियमों] के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा:

परंतु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, ऐसे कारावास का, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा ।

21. अपराधों का संज्ञान—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा (1974 का 2) 173 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान—

²[(क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन निदेसित अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी; या]

(ख) सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत वर्ग 1 अधिकारी की पंक्ति के किसी अधिकारी; या

(ग) बाल कल्याण और विकास तथा बाल पोषण के क्षेत्र में लगे हुए ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के, जिन्हें सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, किसी प्रतिनिधि, द्वारा किए गए किसी लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(2) जहां कोई परिवाद उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकृत स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किया गया है और न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, कोई समन या वारंट जारी किया है, वहां उस न्यायालय का सहायक लोक अभियोजक उस मामले को भारसाधन में लेगा और अभियोजन का संचालन करेगा ।

22. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक

¹ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 9 द्वारा (10-11-2003) से प्रतिस्थापित ।

² 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 100 द्वारा (29-07-2010) से प्रतिस्थापित ।

और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किसी गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मोनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्वष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और
- (ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

23. अपराधों का संज्ञेय और जमीनतीय होना—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध,—

- (क) जमानतीय होगा ;
- (ख) संज्ञेय होगा ।

24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी [या ऐसे स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि, जिसे धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अदीन अधिसूचित किया गया हो,]

25. 2006 के अधिनियम संख्यांक 34 का लागू होनी वर्जित न होना—इस अधिनियम या इसके अदीन बनाए गए नियमों के उपबंध, [खाद्य सुरक्षा और मानक] अधिनियम, 2006 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

26. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी सक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:—

- (क) ये शर्तें और निबंधन, जिनके अधीन रहते हुए, शैक्षणिक उपस्कर और अन्य सामग्री का धारा 5 के खंड (ख) के परन्तुक के अधीन संदान या वितरण किया जा सकेगा ;
- (ख) वह भाषा, जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना और अन्य विशिष्टियां उपदर्शित की जाएंगी ;
- (ग) वे विशिष्टियां, जो धारा की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन उपदर्शित की जानी है ;
- (घ) वे विशिष्टियां, जो धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन किसी आधान या लेबल पर नहीं होंगी ;
- (ङ) ऐसी जानकारी में, जो धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन गर्भवती स्त्री या शिशु की माता तक पहुंचती है, सम्मिलित किए जाने वाले विषय ;

¹ 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 10 द्वारा (10-11-2003) से अंतःस्थापित ।

² 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 100 द्वारा (29-07-2010) से प्रतिस्थापित ।

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
